24/12/20 पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उपस्थित प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित

वादी प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3 एवं धारा 151 सी.पी.सी.

प्रस्तुत कर वाद को पुनः आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्रस्तुत

करने के साथ विड्रॉ करने की अनुमति चाही गई है। प्रतिवादी [illegible]

[illegible] द्वारा मामला प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद विड्रॉ किये

जाने पर कोई आपत्ति नहीं है किन्तु भविष्य में पुनः

आवश्यकता पड़ने पर पेश करने पर एतराज किये है [illegible]

निवेदन किया है कि इस प्रकार की अनुमति दिये जाने का [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2021.01.19 15:11:21 IST
Reason: SelfAttested

स्वयं .... निवेदन है कि ग्राम - पाथोटूसर

.... पत्र के संलग्न मय अनुशंसा के प्रस्ताव भी

36

में कोई आपत्ति नहीं है इस प्रकार की अनुमति बाबत 915
है आवेदक के कोई त्रुटि होने के कारण यह आवेदन होने
की स्थिति के आवेदक . नामी के नाम पुनः [illegible]
के प्रस्तावित आधार की तमाम अनुमति दी जा सकती है [illegible]
कोई आधार नामी [illegible] [illegible] के दर्ज नहीं किया
ही [illegible] व [illegible] [illegible] [illegible] के आधार
पर नामी को [illegible] [illegible] स्वीकार किया जाकर
बाद [illegible] [illegible] जाने की अनुमति प्रदान की जाकर 915
[illegible] किया जाता है / पत्रावली बाद तामील तहसील
दाखिल दफ्तर होकर [illegible] के सम्मुख हो

उपखण्ड अधिकारी
अकलेरा (झालावाड़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2021.01.19 16:11:21 IST
Reason: SelfAttested